स्थान.......................... दिनॉक..........................

प्रति,

माननीय श्री मुकुल वासनिक
मंत्री– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
कक्ष क्रमांक–201 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय– अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) क्रीमीलेयर में आय की सीमा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) नई दिल्ली की अनुशंसा के अनुसार 9 लाख रुपए वार्षिक करने निवेदन।

संदर्भ– (1) मूल क्रीमीलेयर मापदंडः– डी.ओ.पी.टी. क्रमांक 36012/22/93–स्टे (रिज़) नई दिल्ली दिनॉक 08 सितम्बर 1993
(2) रु. 4.50 लाख आदेशः– डी.ओ.पी.टी. क्रमांक 36033/3/2004–स्टे (रिज़) नई दिल्ली दिनॉक 14 अक्टूबर 2008

महोदयजी,

निवेदन है कि जैसाकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) क्रीमीलेयर मापदंडों में आय की सीमा बढ़ाकर 9 लाख रुपए वार्षिक करने हेतु भारत सरकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) ने अनुशंसा की है।

यह वृध्दि दिनॉक 14 अक्टूबर 2011 को नियत थी क्योंकि भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय नई दिल्ली के मूल क्रीमीलेयर मापदंड दिनॉक 08 सितम्बर 1993 के अनुसार प्रति 03 वर्ष में यह वृध्दि अनिवार्य है व 4.50 लाख रुपए वार्षिक की विगत् वृध्दि दिनॉक 14 अक्टूबर 2008 को की गई थी।

इस वृध्दि को लागू करने यह उचित समय है क्योंकि आई.आई.टी., आई.आई.एम., ए.आई.ई.ई.ई., एम्स, गेट आदि के सत्र 2012–13 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है।

तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के मंडल व 2008 के आई.आई.टी.–आई.आई.एम. के निर्णय में केवल मलाईदार तबके अर्थात 5 प्रतिशत ओ.बी.सी. को आरक्षण से हटाने निर्देशित किया था (जैसाकि दूध से 5 प्रतिशत मलाई निकलती है.)। अतः 95 प्रतिशत नान–क्रीमीलेयर ओ.बी.सी. को आरक्षण देने हेतु वास्तव में इस सीमा को 15 लाख रुपए वार्षिक किया जाना उचित होता। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल गरीबों को आरक्षण देने नहीं कहा, जैसा प्रचारित होता है।

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम योग्यता सीमा के रुप में क्रीमीलेयर की यही सीमा "सामान्य" व "अजा–जजा वर्ग" के कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के लिये भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की रु. 1000/2000 प्रति माह की दर से दी जाने वाली 82000 "सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप" हेतु भी लागू है।

अतः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) नई दिल्ली व्दारा अनुशंसित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) क्रीमीलेयर में आय सीमा 4.50 लाख रुपए से बढ़ाकर शीघ्र 9 लाख रुपए वार्षिक करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय

प्रतिलिपि–

(1) महामहिम राष्ट्रपति, भारत, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
(2) माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार, 7 रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली
(3) माननीय श्री वी. नारायणसामी, राज्य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेन्शन, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
(4) माननीय श्री वी. नेपोलियन, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(5) माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) त्रिकूट–1, भीकाजी कामा प्लेस , आर. के. पुरम, नई दिल्ली
(6) माननीय सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(7) माननीय सचिव, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
(8) माननीय संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(9) माननीय श्री के. जी. वर्मा, जे. एस. एवं डायरेक्टर (डी.ओ.पी.टी.) कार्मिक, जनशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (प्रभारी–आरक्षण प्रकोष्ठ)

की ओर सादर शीघ्र कार्यवाही कराए जाने के निवेदन के सा थ प्रेषित।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

प्रेस विज्ञप्ति

.... समाज संगठन .... ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) क्रीमीलेयर मापदंडों में आय की सीमा 4.50 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 9 लाख रुपए वार्षिक किए जाने की भारत सरकार से अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) नई दिल्ली के अध्यक्ष व हिमाचल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एम. एन. राव व सदस्यों श्री दीपक काटोले, श्री आर. एस. खरवेन्दन तथा श्री शकील–उज़–ज़मान–अन्सारी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

संगठन ने बताया कि न्यूनतम योग्यता के रुप में क्रीमीलेयर की यही सीमा ''सामान्य वर्ग'' तथा ''अनुसूचित जाति व जन जाति'' के कॉलेज अध्ययनरत छात्रों के लिये भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रु. 1000/2000 प्रति माह की दर से दी जाने वाली 82000 ''सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप'' हेतु भी लागू है।

संगठन ने देश में आई.आई.टी., आई.आई.एम., ए.आई.ई.ई.ई., एम्स इत्यादि के आगामी शिक्षा सत्र 2012–13 के प्रवेश एवं विभिन्न नौकरियों के आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने एवं आय सीमा पुनरीक्षण हेतु तय 3 वर्ष की बाध्यता सीमा दिनॉक 14.10.2011 को समाप्त होने दृष्टिगत् अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी.सी.) क्रीमीलेयर की 9 लाख रुपए की यह आय सीमा शीघ्र लागू करने हेतु पत्र व्दारा यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गॉधी, प्रधानमंत्री व कार्मिक मंत्री तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिकं से निवेदन किया है।

हस्ताक्षर

प्रति,
माननीय संवावददाता...

This document was created using
Smart PDF Converter
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFConverter.com